मोहरपाल v/s तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
15/09/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप०। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य हेतु बयान व दस्तावेजात की प्रति उपलब्ध करवाये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस/आदेश पत्रावली दिनांक 18/09/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
18/09/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप०। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र, तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रा. पत्र नाम दुरुस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 18.9.25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई
जिला दौसा

प्रकरण संख्या— 72/2025
प्रकरण दायर दिनांक— 25.06.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक— 18.09.2025

उनवान

1. मोहरपाल मीना पुत्र श्री गोकुल राम निवासी भांवता-भांवती तहसील बांदीकुई

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै० रे० एक्ट</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने ग्राम भांवती के खाता संख्या नया 23 पुराना 21, नया 24 पुराना 22, नया 99 पुराना 96 का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु आवेदन किया था जिसका आवेदन क्रमांक 2024/3198/20 है। प्रार्थी के पिताजी का नाम गोकुलराम था जबकि नामान्तकरण खुलने के पश्चात नाम में अशुद्धि आने के कारण गोकुल की जगह भोकला नाम आया है। अतः खाता संख्या 23, 24, 99 में भोकला नाम के स्थान पर गोकुल राम करने का श्रम करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खाता संख्या नया 23 पुराना 21, नया 24 पुराना 22, नया 99 पुराना 96 में प्रार्थी के पिता का नाम गोकुल पुत्र छोटू दर्ज था एवं ग्राम भांवती के खाता संख्या 99 मे भोकला पुत्र छोटू दर्ज था परन्तु प्रार्थी के पिता गोकुल पुत्र छोटू की फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय गोकुल पुत्र छोटू के वारिसान मोहरपाल पुत्र गोकुल किशनलाल पुत्र गोकुल रामखिलाडी पुत्र गोकुल मुकेश कुमार पुत्र गोकुल के बजाय सहवन से मोहरपाल पुत्र भोकला किशनलाल पुत्र भोकला रामखिलाडी पुत्र भोकला मुकेश कुमार

पुत्र भोकला दर्ज हो गया। चारो प्रार्थियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम गोकुल दर्ज है। अतः तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भोकल के स्थान पर गोकुल किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम भोकल सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम गोकुल राम है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भांवती के खाता संख्या नया 23 पुराना 21, नया 24 पुराना 22, नया 99 पुराना 96 की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम भोकल के स्थान पर गोकुलराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

18.9.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई